



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24102020-222730
CG-DL-W-24102020-222730

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अक्टूबर 11—अक्टूबर 17, 2020, शनिवार / आश्विन 19—आश्विन 25, 1942
No. 32] NEW DELHI, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2020, SATURDAY/ASVINA 19—ASVINA 25, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

<p>from Central Government or State Governments or Union territories, Administration or autonomous statutory organisation or public sector undertakings or University and recognised research Institutes.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(i) Diploma in Prosthetics and Orthotics from recognised University or institute.</p> <p>(ii) Four years working experience in Prosthetics and Orthotics from Central Government or State Governments or Union territories, Administration or autonomous statutory organisation or public sector undertakings or University and recognised research institutes.</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. A. 12018/11/2016-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. 153.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में जैव सांख्यिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, जैव सांख्यिकीविद्, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हताएं.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जैव सांख्यिकीविद्	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक नियत तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक :</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी में स्नातक डिग्री।</p> <p>(ii) सरकार से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे एसएएस (सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली); एमपीएसएम (सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकीय पैकेज); एमएस ऑफिस और एसटीएटीए (सांख्यिकी और डाटा) विषयों के साथ न्यूनतम छह मास का कंप्यूटर पाठ्यक्रम।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) सरकारी या अर्ध-सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में जैव-सांख्यिकीविद् के रूप में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 5 (29200-92300 रुपए) वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा हो; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण : (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभाग के प्रमुख, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.ए.12018/23/2016-एमएच -II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 12th October, 2020

G.S.R. 153.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Bio Statistician in the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Bio Statistician (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**—No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen or other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bio Statistician	02* (2020) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'B' Non-gazetted, Non-Ministerial	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential : (i) Bachelor Degree in Statistics from a recognised University or Institute. (ii) Minimum six months computer course from government recognised University or Institute having subjects including software packages like SAS (Statistical Analysis System); SPSS (Statistical Package for Social Science), MS-Office and STATA (Statistics and Data). Desirable : i) One year experience as Bio Statistician in Government or Semi Government or Public Sector Undertaking or recognised Research Institute. ii) Master degree in Statistics from a recognised University or Institute.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	Deputation including short term contract failing which by direct recruitment	Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Autonomous or Statutory Organisations or Public Sector Undertaking or University or recognised Research Institute : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level- 5 (Rs. 29200- 92,300) of the pay matrix and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note : (1) The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. (ii)The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty - six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman; (2) Head of concerned Department, Safdarjung hospital -Member; (3) Deputy Director in charge of Medical Hospital Division, Directorate General of Health Services -Member; (4) Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/23/2016-MH-II]
PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 154.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) त्रिलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (श्रेणी IV) भर्ती नियम, 1973 को, जहाँ तक उनका संबंध रसोइया और प्रधान रसोइया के पद से है, और (ii) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम (समूह 'घ') भर्ती नियम 1979 को, जहाँ तक उनका संबंध बटलर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का